

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग,
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, कुनौली।
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं०-03 / 2023-24

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं नाम:- कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, कुनौली।
2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि:- दिनांक:-13.02.2024
3. निविदा प्रपत्र की बिक्री तिथि:- दिनांक:-27.02.2024 से 29.02.2024
4. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय:- दिनांक:-02.03.2024 अपरान् 3:00 बजे तक
5. तकनीकी बीड खुलने की तिथि एवं समय:- दिनांक:-02.03.2024 अप्राह्न 3:30 बजे
6. निविदा प्रपत्र की बिक्री का कार्यालय-
 1. कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, कुनौली।
 2. अधीक्षण अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर अंचल, झंझारपुर।
 3. कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, दरभंगा
7. निविदा प्राप्ति स्थल:- क्रमांक-06 के सभी कार्यालयों में।
8. वित्तीय बीड खोलने की तिथि समय एवं स्थान:- सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में घोषित की जायेगी।
9. कार्य का विवरणी:-

युप संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि लाख में	अग्रधन की राशि (रूपये में)	परिमाण विपत्र की राशि (रूपये में, जो लौटायी नहीं जायेगी)	कार्य समाप्ति की अवधि।
1	निरीक्षण भवन, कुनौली के बाहरी भाग का मरम्मत एवं रंग-रोगन कार्य।	2.03325	4100	500	10 दिन
2	कोशी शिविर कुनौली अंतर्गत एक अदद सी-टाईप, डी-टाईप एवं एफ-टाईप के आवास का बंम्बू चचरी से फेंसींग कार्य।	1.01690	2100	500	10 दिन
3	पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल कुनौली के मुख्य द्वार के पंधुच पथ का निर्माण कार्य।	7.00000	14000	1250	10 दिन

1. निविदा से संबंधित विस्तृत शर्तें नियम अर्हता, अग्रधन का स्वरूप निविदा की प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी के लिए परिमाण विपत्र बिक्री स्थल से सम्पर्क किया जा सकता है।


 (ई० अशोक कुमार)
 कार्यपालक अभियंता
 पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, कुनौली।
 13.02.24

निविदा की शर्तें:-

2. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा में घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी हो सकती है। तदनु रूप अग्रधन की राशि प्राक्कलित राशि का दो प्रतिशत एवं 100/-रु0 के गुणक में जमा करना होगा।
3. अग्रधन की राशि डाकघर बचत खाता पासबुक 1/2/3 वर्षीय डाकघर में सावधि जमा राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र अथवा बिहार सरकार द्वारा मान्य अन्य प्रतिभूति जो कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, कुनौली के पदनाम से विधिवत् अद्यतन प्रतिज्ञित हो स्वीकार किये जाएंगे।
4. निविदा प्रपत्र वर्णित मूल्य के बैंक ड्राफ्ट जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत, कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, कुनौली को भुगतये तथा अदाकर्ता भारतीय स्टेट बैंक शाखा सुपौल के नाम हो का बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करने पर प्राप्त होगा। निविदा प्रपत्र का मूल्य लौटाया नहीं जायेगा।
5. निविदा दो मुहरबंद लिफाफे में क्रमांक 01 एवं 02 जिसमें क्रमशः प्रीक्वालिफिकेशन बीड तथा प्राईस बीड सील्ड (जिसे मोहर या हस्ताक्षर लगाकर बंद किया गया हो) कर के एक बड़े लिफाफा में सील कर समर्पित करना होगा। निविदा खोलने की तिथि को क्रमांक 06 में उल्लेखित सभी कार्यालयों में मात्र प्रीक्वालिफिकेशन बीड खोली जायेगी। निविदाकारों के दुसरे लिफाफा जिसमें प्राईस बीड रहेगा को बाद प्रीक्वालिफिईंग बीड में सफल होने पर ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा सफल निविदाकारों को माबाईल पर सूचित कर निर्धारित तिथि को खोला जायेगा। जो निविदाकर प्रीक्वालिफाई बीड में असफल होंगे उनका प्राईस बीड जस का तस उन्हें लौटा दिया जायेगा।
6. पथ निर्माणविभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या -13589 (S) पटना दिनांक:-13/12/11 के कंडिका (4) के उपकंडिका (घ) में निहित प्रावधान के अनुसार रू0-25,00,000 (रु पचीस लाख) तक के कार्यों के निविदा में श्रेणी-04 में निबंधित (जिला का कार्य होगा उसी जिला सेनिबंधन अनिवार्य होगा) संवेदक ही भाग ले सकेंगे।
7. निविदादाता के प्रीक्वालिफिकेशन बीड के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य होगा।
 - क. निविदादाता का समुचित श्रेणी में निबंधन होने का प्रमाण-पत्र (अभिप्रमाणित प्रति)।
 - ख. निर्गत परिमाण-विपत्र में अंकित अग्रधन की राशि बिहार सरकार वित्त विभाग द्वारा अनुमान्य स्वरूप में (मूल में)
 - ग. पेन कार्ड की छाया प्रति (अभिप्रमाणित प्रति)।
 - घ. जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण-पत्र की छाया प्रति (अभिप्रमाणित प्रति)।
 - ड. अपर मुख्य सचिव गृह विभाग सरकार के पत्रांक-29 दिनांक:-25.01.2020 दिये गए निर्देश के आलोक में निविदा के साथ जिला पुलिस के द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य है।
- च. निम्न आशय का शपथ पत्र:-

I the undersigned, do hereby certify that all the statements made in the required attachment are true and correct, and if found fake/forged the undersigned will be liable for infliction upon F.I.R and lawful punishment as well as black listing. (मूल में)
- छ. निविदादाता के प्रीक्वालिफिकेशन बीड के साथ उपरोक्त सभी दस्तावेज देना अनिवार्य है जिसमें छाया प्रति स्व हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। प्रीक्वालिफिकेशन बीड में सफलता का निर्धारण उपरोक्त सभी दस्तावेजों के आधार पर ही होगा।
8. संवेदक के लिफाफे के उपर अपना दूरभाषसंख्या तथा मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल अंकित करना अनिवार्य है, ताकि निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना उन्हें ससमय दी जा सके।
9. वित्तीय बीड में संवेदक द्वारा दर अंकित किया जायेगा। पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-4439(E) दिनांक-17/07/2023के अनुसार संवेदक को वित्तीय दर की सीमा समाप्त कर दी गई है।
10. विभागीय निर्माण सामग्री उपलब्ध रहने पर संवेदक को निर्गत किया जा सकता है जिसके विरुद्ध निर्धारित दर पर विपत्र से कटौती कर ली जायेगी।
11. बिना कारण बताये एक या सभी निविदा रद्द करने का अधिकार अघेस्ताक्षरी को रहेगा।

12. संवेदक को सभी कार्य विस्तृत निविदा में वर्णित शर्तों एवं स्वीकृत कार्य के अनुसार कार्य करना अनिवार्य है। तथा जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा निविदा से संबंधित सभी अद्यतन अनुदेश एवं शर्त निविदा के लिए मान्य होगा।
13. प्रतिशत दर निविदा पद्धति में न्यूनतम दर अधिसिमा एवं additional performance guarantee हेतु पथ निर्माण विभाग पटना के पत्रांक-448 दिनांक:-16.01.2020 एवं विभागीय पत्रांक-50 दिनांक:-20.01.2020 के अनुसार लागू होगा तथा CWJC No.9941/2022 में दिनांक:-06.07.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय पत्रांक-536 दिनांक:-18.07.2023 एवं पथ निर्माण विभाग पटना के पत्रांक-4439(E) दिनांक:-17.07.2023 के निर्देशानुसार दर मान्य होगा।
14. सफल निविदादाता को जनकार्य प्रपत्र एफ-2 (क्लॉज 23 विलोपित) पर एकरारनामा करना होगा।
15. संदेहास्पद कार्य करने वाला एवं जिसके विरुद्ध कालीकृत करने की कार्रवाई चल रही है, ऐसे संवेदकों का निविदा मान्य नहीं होगी।
16. संवेदक के विपत्र से 01 प्रतिशत श्रमिक सेस की राशि सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के मद हेतु कटौती की जायेगी एवं वित्त विभाग पत्रांक-7245 दिनांक:-26.09.2018 के आलोक में संवेदक के विपत्र से 2 प्रतिशत GST कटौती की जायेगी।
17. निविदा निविदाताओं एवं उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थिति में खोला जायेगा।
18. खान एवं भूतत्व विभाग के ज्ञापक-3947 दिनांक:-15.11.2019 में निहित निदेश के अनुरूप विपत्र से कटौती की जायेगी।
19. बिहार सरकार/जल संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अधिसूचना /आदेश निविदा के शर्तों के लिए मान्य होगा।
20. तकनीकी बीड में कई सफल निविदाताओं का समान न्यूनतम निविदित दर की स्थिति में सफल निविदादाता का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग सहिता के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
21. संवेदक के द्वारा हस्ताक्षरित अभिलेख ही मान्य होगा, जिका सत्यापन उनके संबंधित अभिलेख से की जाएगी।

SA

(ई0 अशोक कुमार)

कार्यपालक अभियंता

पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, कुनौली।

पत्रांक :- 129 / कुनौली, दिनांक :- 13 / 02 / 2024
 प्रतिलिपि:- सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचना की एक हार्ड प्रति एवं
 सॉफ्ट प्रति के साथ सूचनार्थ एवं लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन स्थानीय एवं राज्यस्तरीय
 पर प्रदर्शित करवाने हेतु समर्पित।

AP
13.02.24

(ई0 अशोक कुमार)

कार्यपालक अभियंता

पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, कुनौली।

1215
13.02.24